



हमारा प्रयास
आपका आवास

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की

शाकुम्भरी विहार योजना

सेक्टर-2ए, सहारनपुर (दिल्ली-सहारनपुर रोड) के अन्तर्गत
उच्च एवं मिनी मध्यम आय वर्ग हेतु G+3 फ्लैट्स प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में एफ-70 एवं एफ-45 प्रकार के G+3 फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	शहर/योजना का नाम	सम्पत्ति की श्रेणी/प्रकार	प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या	फ्लैट का सुपर एरिया (स्क्वायर मीटर में)	अनुमानित विक्रय मूल्य (₹0 लाख में)		पंजीकरण धनराशि (₹0 लाख में)		भुगतान प्रक्रिया का विवरण
					तल	मूल्य	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	
1	शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर।	एफ-70 प्रकार के 4 मंजिले भवन।	160	69.71	भूमि तल	24.35	1.22	0.61	कुल मूल्य का 50% एक मुश्त भुगतान करने के उपरान्त शेष ब्याज सहित 120 किश्तों में देय
					प्रथम तल	22.95			
					द्वितीय तल	22.80			
2	शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर।	एफ-45 प्रकार के 4 मंजिले भवन।	208	44.97	भूमि तल	14.55	0.73	0.36	कुल मूल्य का 35% एक मुश्त भुगतान करने के उपरान्त शेष ब्याज सहित 144 किश्तों में देय
					प्रथम तल	13.70			
					द्वितीय तल	13.60			
					तृतीय तल	13.50			

**पंजीकरण हेतु
अधिकृत बैंक**

इलाहाबाद बैंक
देहरादून रोड, सहारनपुर.
फोन: 0132-2725102

स्टेट बैंक बीकानेर एवं जयपुर
दिल्ली रोड, निकट सब्जी मण्डी, सहारनपुर.
फोन: 0132-2713420

IS 15700:2005



संयोजित प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो



IS 15700



पंजीकरण अवधि
14.09.2016 से
02.11.2016 तक

शाकुम्भरी विहार योजना की विशिष्टियाँ

- शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में 60.00 मीटर चौड़ी दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है।
- सहारनपुर के पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मात्र 2.00 किमी की दूरी पर।
- शाकुम्भरी विहार योजना, में ही स्थित मण्डी समिति के मल्टीप्लेक्स से 50.00 मीटर की दूरी पर।
- मुख्य अभियन्ता विद्युत/वाणिज्य कर विभाग कार्यालय (नवनिर्मित) मात्र 500.00 मीटर की दूरी पर।
- मण्डलायुक्त/ कलैक्ट्रेट/ सिविल कोर्ट से दूरी लगभग 3.00 किमी।
- जी०एस०एम० मॉल/एस०आर०एस० सिनेमा के ठीक सामने।
- रेलवे स्टेशन/बस अड्डे से मात्र 3.50 किमी की दूरी पर।
- शाकुम्भरी देवी शक्ति पीठ से 40 किमी की दूरी पर।
- बाउण्ड्रीवाल तथा गेट के प्राविधान।
- स्वतंत्र पार्क व पार्किंग का प्राविधान।
- गेट कीपर हाउस का प्राविधान।
- भूकम्प अवरोधी संरचना का प्राविधान।
- समस्त जन-सुविधाओं से युक्त।
- जन यातायात की सुविधा।
- शुद्ध पेय जल एवं विद्युत व्यवस्था।
- पूर्ण विकसित पार्कों की व्यवस्था।
- लगभग आधा क्षेत्रफल पार्क एवं खुले स्थान के रूप में उपलब्ध तथा आधे क्षेत्र पर निर्माण।

पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य ₹0 300/- है। पंजीकरण पुस्तिकाएँ प्रचार अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ तथा उपरोक्त बैंक शाखाओं से प्राप्त की जा सकती हैं परन्तु पंजीकरण आवेदन फार्म पंजीकरण धनराशि के साथ उपरोक्त बैंकों में ही जमा किया जायेगा। विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर भी देखी जा सकती है।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण हेतु

जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की है

जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज कर सकते हैं।

डायल करें: **1800-180-5333** (टोल-फ्री)

0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।